26

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

छब्बीसवां प्रतिवेदन

2019 में यथा संशोधित, राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अधिनियम, 2014 के अंतर्गत नियमों/विनियमों/संविधियों/अध्यादेशों को तैयार करने की स्थिति

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2023/ चैत्र, 1945 (शक)

26

<u>अधीनस्थ विधान संबंधी समिति</u>

(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

छब्बीसवां प्रतिवेदन

2019 में यथा संशोधित, राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अधिनियम, 2014 के अंतर्गत नियमों/विनियमों/संविधियों/अध्यादेशों को तैयार करने की स्थिति

(24.03.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2023/ चैत्र, 1945 (शक)

सीओएसएल सं. 118 **खंड II**

मूल्य**:** रू.

(C) 2023 □□□ □□□ □□□□□□□
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (चौदहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड़, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

विषय सूची

पृष्ठ सं.

एक. समिति की संरचना..... (ii)

दो. प्राक्कथन..... (iii)

प्रतिवेदन

एक. 2019 में यथा संशोधित, राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अधिनियम, 2014 के अंतर्गत नियमों/विनियमों/संविधियों/अध्यादेशों को तैयार करने की स्थिति 1-14

परिशिष्ट

एक. समिति की मुख्य टिप्पणियों/सिफारिशों का सार 15-18

दो. समिति(2020-2021) की 03.06.2022 को हुई पच्चीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश तथा समिति(2022-2023) की 23.03.2023 को हुई बारहवीं बैठक के कार्यवाही सारांश से उद्धरण। 19-22

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की संरचना
(2022-2023)

श्री बालाशौरी वल्लभनेनी — सभापति

सदस्य

2. श्री बी. मणिक्कम टैगोर
3. श्री पिनाकी मिश्रा
4. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे
5. श्री चंदेश्वर प्रसाद
6. श्री एन.के. प्रेमचंद्रन
7. श्री सुरेश पुजारी
8. श्री ए. राजा
9. श्री नामा नागेश्वर राव
10. श्री संजय सेठ
11. डॉ. अमर सिंह
12. श्री बृजेन्द्र सिंह
13. श्री सु. थिरुनवुक्करासर
14. श्री राम कृपाल यादव
15. श्री अरविन्द गणपत सावंत

सचिवालय

1.	श्री विनय कुमार मोहन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री मुरलीधरन पी.	-	निदेशक
3.	श्रीमती जागृति तेवतिया	-	अपर निदेशक
4.	श्री एस. लाल एन्जौ नागाइहते	-	अवर सचिव

प्राक्कथन

मै, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर यह छब्बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. इस प्रतिवेदन में विचार किए गए विषयों पर अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की 03.06.2022 को हुई बैठक में विचार किया गया था जिसके दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आतंरिक व्यापर विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया गया।

3. समिति ने 23.03.2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

4. सन्दर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों/सिफ़ारिशों को प्रतिवेदन के मुख्य भाग में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है और प्रतिवेदन के परिशिष्ट एक में भी पुनः उद्धृत किया गया है।

5. इस प्रतिवेदन से संबंधित समिति (2021-22) की 03.06.2022 को हुई पच्चीसवीं बैठक के कार्यवाही सारांश से उद्धरण और समिति (2022-23) की 23.03.2023 को हुई बारहवीं बैठक के कार्यवाही सारांश से उद्धरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट-दो में दिए गए हैं।

नई दिल्ली;
23 मार्च, 2023
02 चैत्र, 1945 (शक)

बालाशौरी वल्लभनेनी
सभापति,
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

प्रतिवेदन

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 2019 में यथासंशोधित के अंतर्गत अधीनस्थ विधानों अर्थात नियमों/विनियमों/संविधियों/अध्यादेशों आदि तैयार किए जाने की स्थिति

क. प्रस्तावना

एक आधुनिक कल्याणकारी राज्य में, सरकारी गतिविधि मानव प्रयास के लगभग हर क्षेत्र में व्याप्त है, इस प्रकार, इस निरंतर व्यापक गतिविधि को विनियमित करने के लिए विविध कानूनों के अधिनियमन की आवश्यकता है। हालांकि, विधानमंडल के पास कानून के हर विवरण पर विचारविमर्श-, चर्चा और अनुमोदन के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। इसके अलावा, विधायिका के लिए भविष्य की सभी आकस्मिकताओं की भविष्यवाणी करना मुश्किल है और कार्यकारी अधिकारियों को परिस्थितियों से निपटने के लिए लचीलेपन की आवश्यकता हो सकती है। इस स्थिति में, विधायिका क्या करती है, और क्या कर सकती है, कि किसी कानून की नीति और उद्देश्य को विहित करे और, उन सिद्धांतों के अनुरूप, आदेशोंनियमों के रूप में विधिक उपाय के / औपचारिक और प्रक्रियात्मक विवरणों को निरूपित करने का कार्य कार्यपालिका पर छोड़ देना चाहिए जिसे अधीनस्थ विधान के रूप में जाना जाता है।

अधीनस्थ विधान शब्द का अर्थ

2 "अधीनस्थ विधानशब "्द सामान्य खंड अधिनियम की धारा में संदर्भित 21 और 20 अधिसूचनाओं, आदेशों, योजनाओं, नियमों और उपनियमों को संदर्भित करता है। भारतीय संदर्भ - में, अधीनस्थ विधान शब्द का तात्पर्य संसद अथवा संविधान के अधिनियम के अंतर्गत निरूपित किए गए किसी भी नियमों, विनियमों, आदेशों, योजनाओं, उपनियमों-, विधियों, अध्यादेशों, अधिसूचनाओं या लिखितों से है। ऐसे अधीनस्थ विधानों को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए और संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाना चाहिए, जिससे संसद सदस्यों को यह अवसर मिलता है कि यदि वे चाहें तो ऐसे में संशोधन या सुधार प्रस्तुत कर सकते हैं। "आदेश"

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति और इसकी भूमिका

3 चूंकि अधीनस्थ विधान, संविधि का एक महत्वपूर्ण घटक तत्व बन गया है, अतः यह निगरानी और जांच करने के लिए कि अधीनस्थ विधान, अधिनियम अथवा संविधान की भावना के अनुरूप है और साथ ही संसद या संविधान तहत के अधिनियमों के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों के अनुरूप कार्यपालिका पर उचित नियंत्रण रखने के लिए भी विधायिका की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण है। विधान, संसद का एक अंतर्निहित और अविभाज्य अधिकार है और उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि अधीनस्थ विधान की आड़ में इस शक्ति को हडप न लिया जाए और न ही इसका अतिक्रमण किया जाए। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, लोक सभा एक ऐसा ही साधन है और इसका गठन इस बात की संवीक्षा करने और सदन को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजित नियम, विनियम, उपनियम-, योजनाएं या अन्य सांविधिक लिखत तैयार करके शक्तियों को इस प्रकार प्रदान किया जाना या प्रत्यायोजन, जैसा भी मामला हो, के भीतर ठीक से प्रयोग किया गया है।

4 यह महत्वपूर्ण है कि विधायिका को आवश्यक वि◌ धायी कार्यों को अपने पास निहित रखना चाहिए जिसमें विधायी नीति की घोषणा करना और विधि शासन के तहत अधिनियमित किए जाने के लिए मानक निर्धारित करना शामिल है, और ऐसा कार्य जिन्हें प्रत्यायोजित किया जा सकता है इनमें अधीनस्थ विधान संबंधी कार्य हैं जिनकी स्वयं की प्रकृति संविधि का सहायक के रूप में है जो इसे तैयार करने की शक्ति प्रदान करती है।

अधीनस्थ विधान तैयार करने के संबंध में समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें

5 संविधि को पूरी तरह से तभी लागू किया जा सकता है जब अधिनियम के अंतर्गत कि निर्धारित सभी अधीनस्थ कानून समय पर तैयार किए जाएं। समिति ने अपने कार्य के दौरान पाया है कि मंत्रालयों ने नियमविनियम बनाने में काफी समय लिया है और इसलिए अधिनियम लागू / विनियम बनाने में /नहीं हुए या आंशिक रूप से लागू हुए हैं। अतः समिति ने मंत्रालयों द्वारा नियम विलम्ब के संबंध में बहुत महत◌्वपूर्ण सिफारिशेंमई 5 टिप्पणियां की हैं। समिति ने दिनांक/, 1959 :को प्रस्तुत अपने पांचवें प्रतिवेदन में निम्नानुसार सिफारिश की है

> *.34" समिति का विचार है कि सामान्यतया अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद यथाशीघ्र अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाए जाने चाहिए और किसी भी स्थिति में यह अवधि छह महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि अधिनियम के लागू होने के बाद उचित अवधि के भीतर कोई नियम नहीं बनाया जाता है तो समिति मामले को संबंधित मंत्रालय के साथ उठाएगी और सदन को उन मामलों की रिपोर्ट देगी जहां यह महसूस किया गया है कि नियम बनाने में अनुचित देरी हुई है।"*

6 में आगे सिफारिश की है 108 के पैरा (पंद्रहवीं लोक सभा) 18वें प्रतिवेदन समिति ने अपने महीने का अनुपालन करने में समर्थ नहीं है तो उसे 6 कि यदि कोई मंत्रालय इस समय सीमा अर्थात् नियम निरूपण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय काविस्तार मांगना चाहिए। समिति की सिफारिश इस प्रकार है:

> *अधिनियम के प्रारंभ :समिति अपनी पूर्ववर्ती सिफारिश पर पुनः बल देती है कि सामान्यत" होने के बाद यथाशीघ्र अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाए जाने चाहिए और किसी भी महीने से अधिक नहीं होनी चाहि 6 स्थिति में यह अवधिए। हालांकि, यदि कोई मंत्रालयविभाग यह पाता है कि किसी अपरिहार्य कारण से उनके लिए एक अपवादात्मक / सीमा का पालन करना संभव नहीं है-मामले में निर्धारित समय, तो उन्हें संबंधित अधिनियमों के प्रारंभ होने से महीने की समाप्ति पर 6, समिति को कारणों की व्याख्या करनी चाहिए और समिति से विशिष्ट समय विस्तार माँगना चाहिए।"*

7 विनियम निरूपित करने के लिए /तथापि समिति ने पाया कि अधिकाँश मंत्रालय नियम महीने की समयसीमा का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। समिति ने नोट किया 6 समिति द्वारा विहित बार होने वाली घट-कि नियम बनाने में देरी एक बारना बन गई है और जिन मामलों को वैधानिक नियमों द्वारा नियंत्रित करने की मांग की जाती है, वे अक्सर सही तरीके से तैयार किए गए वैधानिक नियमों के अभाव में दिशानिर्देशों आदि के कार्यकारी निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। इस प्रकार

संसद द्वारा पारित अधिनियमों के अंतर्गत नियमों का समय पर निरूपण सुनिश्चित करने के लिए, समिति ने मार्च 6, 10) 24वें प्रतिवेदन को प्रस्तुत अपने 1996वीं लोकसभामें निम्नानुसार (- :सिफारिश की

1" प्रारूप नियमों का निर्माण प्रस्तावित विधेयक के प्रारूपण के साथसाथ शुरू - किया जाना चाहिए ताकि विधेयक को सदन में पेश किए जाने तक प्रारूप नियम तैयार हो जाएं।

2 जब भी कोई विधेयक संसद में पेश किया जाता है और विशेष रूप से वे विधेयक जो एक आयोग या न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव करते हैं, तो विधेयक के साथ प्रत्यायोजित विधान के ज्ञापन में इस आशय का एक 'नोट' होना चाहिए कि मसौदा नियम भी इस विधेयक के अंतर्गत तैयार किए गए हैं।

3 विभागों के /मंत्रालयी पत्राचार या जहां कानून मंत्रालय या अन्य मंत्रालयों-लंबे अंतर साथ परामर्श शामिल है, वहां इसके कारण अनुचित देरी को दूर करने के लिए, संबंधित मंत्रालय को सभी संबंधित एजेंसियों की बैठकें बुलानी चाहिए ताकि मामलों को लंबे पत्राचार में उलझे बिना जल्द से जल्द सुलझाया जा सके।

4 निरीक्षण करने के लिए सरकार के प्रत्येक /इस संदर्भ में समिति ने नियम बनाने विभाग में विशेष रूप से स्वयं के एक विधि अधिकारी की सेवाओं पर भी /मंत्रालय विचार किया।

विधि अधिकारी विधि मंत्रालय से हो सकता है जिसे संबंधित मंत्रालय द्वारा प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकता है। समिति पहले ही कुछ मंत्रालयों से परामर्श कर चुकी है जिन्होंने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। समिति महसूस करती है कि इस तरह की व्यवस्था निश्चित रूप से प्रत्येक मंत्रालयविभाग के लिए विधि मंत्रालय से संपर्क करने की आवश्यकता को समाप्त कर / देगी, जब नियम बनानेनिरीक्षण करने की आवश्यकता होती है/, और परिणामी देरी से बचा जा सकता है।

अतः समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयोंविभागों को संसद / द्वारा पारित अधिनियमों के अंतर्गत नियमों का समय पर निर्धारण सुनिश्चित करने की दृष्टि से समिति की पूर्वोक्त सिफारिशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

8 समिति ने अपने 18वें प्रतिवेदन)5वीं लोक सभा(, 8वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा), चौथे और तेरहवें प्रतिवेदन)8वीं लोक सभा(, पहले और तेरहवें प्रतिवेदन)14वीं लोक सभा(, 27वें और 31वें प्रतिवेदन)15वीं लोक सभा(में इस अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने के लिए बारबार अपनी सिफारिशों को दोहराया- है। समिति ने 8वीं लोक सभा के अपने चौथे प्रतिवेदन के पैरा 21)18-12-1985 को सभा पटल पर रखा गया(में मंत्रालयों हेतु अधीनस्थ विधान के संबंध में अपनी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश तैयार करने की भी सिफारिश की थी। इस सिफारिश के अनुसरण में, संसदीय कार्य मंत्रालय ने इस विषय पर विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए थे जिन्हें 18-09-1986 को सभी मंत्रालयोंविभागों को अग्रेषित कर दिया गया था। इन /

दिशानिर्देशों को भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियमावली के अधीनस्थ विधान से संबंधित अध्याय 11 में भी दिया गया है।

9 इसके अतिरिक्त, समिति द्वारा नियम बनाने के लिए समय विस्तार के संबंध में, संसदीय कार्य मंत्रालय ने भारत सरकार में संसदीय प्रक्रियाओं की नियमावली के पैरा 11.3.2 में विशेषरूप से निम्नानुसार उल्लेख किया है-

> यदि विभाग छह माह की निर्धारित अवधि के भीतर नियम बनाने में सक्षम नहीं" होता है, तो उन्हें इस तरह के समय विस्तार के कारणों का उल्लेख करते हुए अधीनस्थ विधि संबंधी समिति से समय विस्तार की मांग करनी चाहिए; इस तरह का समय विस्तार एक बार में तीन माह की अवधि से अधिक नहीं दिया जाएगा। मंत्री महोदय से अनुरोध प्राप्त करने के बाद अनुमोदन किया जाना चाहिए।''

10 तथापि, इस तरह के विस्तृत दिशानिर्देशों के विद्यमान होने के बावजूद, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा समिति की सिफारिशों का उल्लंघन करते हुए उनका पालन किया जा रहा है। कई मामलों में, मंत्रालय अपने विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी होते हैं और भावी अनुपालन के लिए समिति की सिफारिशोंटिप्पणियों पर ध्यान देते हैं और समिति द्वारा इंगित किए जाने पर नियमों में कमियों को / दूर करते हैं।

11 तदनुसार, इस सचिवालय के दिनांक 26.04.2022 के कार्यालय ज्ञापन के मध्ययम से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग) को विभाग और मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अन्य संबद्ध कार्यालयों, अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों (समय-समय पर यथासंशोधित) के अंतर्गत नियमों/विनियमों आदि की स्थिति प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अधिनियम, 2014 के अंतर्गत अधीनस्थ विधानों को बनाए जाने की स्थिति से संबंधित मंत्रालय के दिनांक 9 मई, 2022 के पत्र द्वारा प्रस्तुत विवरण के अवलोकन पर, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार स्थापित चार नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों के लिए अपेक्षित संविधियों/अध्यादेशों को तैयार करने के संबंध में समिति ने पाया कि उनके द्वरा बार-बार दोहरायी गई सिफारिशों का समान रूप से उल्लंघन किया गया था। इस प्रकार, समिति ने इस तथ्य का संज्ञान लिया और विभाग तथा उससे अन्य संबद्ध कार्यालयों, अधीनस्थ कार्यालयों/ संगठनों द्वारा प्रशासित किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत नियमों/विनियमों/संविधियों /अधिनियमों (समय-समय पर यथासंशोधित) की स्थिति पर 3 जून, 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग) के प्रतिनिधियों के साथ एक संक्षिप्त बैठक आयोजित की।

ख. <u>वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग) के लक्ष्य, उद्देश्य और कार्य।</u>

12 मंत्रालय के लक्ष्यों, उद्देश्यों और कार्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए, मंत्रालय ने अपने दिनांक 09.05.2022 के पृष्ठाधार टिप्पण में निम्नवत बताया:-

डीपीआईआईटी की मुख्य भूमिका नई और भावी प्रौद्योगिकी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में तेजी लाने और आकर्षित करने तथा उद्योगों के संतुलित विकास में सहायता प्रदान करके देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है।

यह विभाग निम्नलिखित मामलों सहित केंद्र सरकार के स्तर पर औद्योगिक नीति के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है:

क) सामान्य औद्योगिक नीति

ख) औद्योगिक लाइसेंस (आईएल) प्रदान करना और औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) स्वीकार करना

ग) औद्योगिक प्रबंधन,

घ) उद्योग में उत्पादकता,

ङ) ई-कॉमर्स से संबंधित मामले,

च) खुदरा व्यापार सहित आंतरिक व्यापार का संवर्धन,

छ) व्यापारियों और उनके कर्मचारियों का कल्याण

ज) "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" में सहायता से संबंधित मामले,

झ) स्टार्टअप्स से संबंधित मामले,

ञ) विभिन्न आर्थिक जोन को मल्टीमॉडल अवसंरचना कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से संबंधित मामले

ट) लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का एकीकृत विकास।

यह विभाग केबल्स, हल्के इंजीनियरिंग उत्पादों (जैसे सिलाई मशीन, टाइपराइटर, वजन तौलने की मशीन, साइकिल आदि), हल्के उद्योगों (जैसे प्लाईवुड, लेखन सामग्री, माचिस, सिगरेट आदि), हल्के इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उद्योगों, रॉ फिल्म्स, हार्ड-बोर्ड, कागज और अखबारी कागज, टायर और ट्यूब, नमक, सीमेंट, सिरेमिक, टाइल्स और कांच, चमड़ा और चमड़े की वस्तुओं संबंधी उद्योग, साबुन और डिटरर्जेंट, फुटवियर डिजाइन और विकास तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत न आने वाले उद्योगों से संबंधित क्षेत्रों के संवर्धन और विकास के लिए उत्तरदायी है।

ग. <u>नियम/विनियम बनाना</u>

13 03.06.2022 को समिति के समक्ष आयोजित वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग) के प्रतिनिधियों द्वारा दी गई ब्रीफिंग के दौरान, समिति ने मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया:

। मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियम/संशोधन अधिनियम;

II. विभाग द्वारा प्रशासित किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों/संशोधन अधिनियमों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की विधान बनाने संबंधी प्रत्यायोजित शक्ति का विवरण;

iii. विभाग या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रशासित किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों (समय-समय पर यथासंशोधित) के अंतर्गत नियमों/विनियमों/संविधियों/अध्यादेशों को बनाए जाने की स्थिति;

iv. लंबित नियमों/विनियमों/संविधियों/अध्यादेशों को बनाए जाने की स्थिति और उन्हें बनाने में देरी के कारण;

v. विभिन्न अधिनियमों/संशोधन अधिनियम के अंतर्गत नियम/विनियम/संविधि बनाने के लिए लोक सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समितियों से विभाग द्वारा मांगे गए समय विस्तार का विवरण;

vi. विभिन्न अधिनियमों/संशोधन अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए सभी नियमों/विनियमों/संविधियों/अध्यादेशों को सभा पटल पर रखने की स्थिति;

vii. मंत्रालय/विभाग द्वारा अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों/विनियमों को लोक सभा के पटल पर रखने में देरी के मामले, यदि कोई हों।

14 मंत्रालय/विभाग ने अपने दिनांक 09.05.2022 के पृष्ठाधार टिप्पण में विभाग द्वारा प्रशासित किए जा रहे निम्नलिखित अधिनियमों पर बनाए गए नियमों की स्थिति समिति के समक्ष प्रस्तुत की:-

क. उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951
ख. विस्फोटक अधिनियम, 1884
ग. ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952
घ. भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923
ङ. पेटेंट अधिनियम, 1970
च. कॉपीराइट अधिनियम, 1957
छ. व्यापार चिह्न अधिनियम,1999
ज. डिजाइन अधिनियम, 2000
झ. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014
ञ. माल का भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999
ट. अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिविन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000

विभाग ने बताया था कि उक्त अधिनियमों के अंतर्गत राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अतिरिक्त सभी नियम और विनियम तैयार कर लिए गए हैं। 03.06.2022 को संक्षिप्त जानकारी दिए जाने के लिए हुई बैठक के दौरान भी साक्षीयों ने बताया था कि, "पूरे विभाग के लिए जो भी अधिनियम और संशोधन अधिनियम बनने थे, बन चुके हैं और संसद में रखे जा चुके हैं। इसलिए आज की तारीख में कुछ भी लंबित नहीं है।"

घ. <u>राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2019 में यथासंशोधित) के अंतर्गत नियम/संविधि/अध्यादेश बनाने की स्थिति:</u>

15 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम संसद द्वारा 2014 में अधिनियमित किया गया था और इसमें 2019 में संशोधन किया गया था जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा और मध्य प्रदेश में चार नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान स्थापित किए गए। चार नए एनआईडी को राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 की परिधि में लाया गया था। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2019 को 29 नवंबर, 2019 को अधिनियमित किया गया था और 3 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित किया गया और यह 13.01.2020 से प्रवृत हुआ। मूल अधिनियम की धारा 29 और धारा 31 संस्थान की शासी परिषद और सीनेट को क्रमशः संविधि और अध्यादेश बनाने का अधिकार देती है, जबकि धारा 38 केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है और अधिनियम की धारा 38 और 40 में यह अधिदेश है कि इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए प्रत्येक नियम, संविधि या अध्यादेश को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद की दोनों सभाओं के समक्ष रखा जाएगा। तदनुसार, चार नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों के लिए संविधि, अध्यादेश और नियम 6 महीने के भीतर अर्थात 14 जुलाई, 2020 तक तैयार किए जाने थे।

16 मंत्रालय/विभाग ने अपने दिनांक 23.05.2022 के पृष्ठाधार टिप्पण के माध्यम से राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमों/विनियमों की अद्यतन स्थिति के बारे में निम्नवत बताया:-

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) अहमदाबाद के लिए लागू था और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) अधिनियम 2019 के द्वारा यही अधिनियम 4 नए एनआईडी अर्थात एनआईडी आंध्र प्रदेश, एनआईडी असम, एनआईडी हरियाणा और एनआईडी मध्य प्रदेश के लिए लागू किया गया है। एनआईडी अधिनियम, 2014 के अनुसार एनआईडी, अहमदाबाद पर यथा प्रभावी संगत अधीनस्थ विधान पहले ही अधिसूचित कर दिए गए थे और नीचे दी गई तालिका के अनुसार सदन के पटल पर रखे गये थेः

क्र.सं.	**नियमों का नाम**	**अधिसूचित किए जाने की तारीख**	**सदन के पटल पर रखे जाने की तारीख**
1	निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (भर्ती, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2015	दिनांक 12.11.2015 के सा.का.नि.-852(अ) द्वारा अधिसूचित	राज्य सभा – 16.12.2015 लोक सभा – 21.12.2015
2	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (लेखा के वार्षिक विवरण का प्रपत्र) नियम, 2016.	दिनांक 14.09.2016 के सा.का.नि.-884(अ) द्वारा अधिसूचित	राज्य सभा - 16.11.2016 लोक सभा - 21.11.2016

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2019 को दिनांक 03.12.2019 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था और यह दिनांक 13.01.2020 को लागू किया गया। तद्नुसार, इस विभाग ने अधीनस्थ विधान के अंतर्गत नियमों को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की, तथापि कोविड-19 की महामारी से संबंधित बाधाओं के कारण प्रक्रिया में देरी हुई। इसके पश्चात 4 नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों (एनआईडी) में से प्रत्येक के लिए दो नियम पहले ही तैयार किए जा चुके हैं और इस विभाग द्वारा दिनांक 30.12.2020 को अधिसूचित किए गए हैं तथा नीचे दी गई जानकारी के अनुसार संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे गए हैः

क्र.सं.	**नियमों का नाम**	**अधिसूचित किए जाने की तारीख**	**सदन के पटल पर रखे जाने की तारीख**
1.	निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (भर्ती, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2020	सा.का.नि. सं. 819(अ)-826(अ) दिनांक 30.12.2020	निम्नलिखित तारीख को सदन के पटल पर रखे गए:
2.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (लेखा के वार्षिक विवरण का प्रपत्र) नियम, 2020.	सा.का.नि.सं. 820(क)-826(क) दिनांक 30.12.2020	लोक सभा में दिनांक 17.03.2021 को राज्य सभा में दिनांक 19.03.2021 को

17 संविधियों और अध्यादेशों को बनाने के संबंध में, मंत्रालय/विभाग ने निम्नवत बताया:

"संविधियां और अध्यादेश संस्थान के संबंधित निकायों अर्थात शासी परिषद और सीनेट द्वारा तैयार की जानी है। अतः इसे किसी स्वायत्त संस्थान के कार्यसंचालन के लिए अधीनस्थ विधान के कार्य क्षेत्र में न माना जाए क्योंकि ये ऐसी अपेक्षाएं और निर्धारण हैं जिन्हें अपने नियमित कार्य संचालन के लिए संस्थान द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। तद्नुसार, यह विभाग दिनांक 17 फरवरी, 2022 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा अधीनस्थ विधान संबंधी समिति से अनुरोध करता है कि इस मामले को इस आधार पर बंद किया जाए कि नियम पहले ही तैयार किए जा चुके हैं और संविधियां एवं अध्यादेश संस्थान के संबंधित निकायों द्वारा तैयार किये जाएंगे तथा यह अधीनस्थ विधान के कार्य क्षेत्र के बाहर माना जाए।"

18 03.06.2022 को आयोजित समिति की बैठक के दौरान, जब समिति ने अधीनस्थ विधान की परिधि से बाहर, संविधियों और अध्यादेशों को बनाने पर विचार करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा तो सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने गलत सूचना पर खेद व्यक्त किया और बताया कि वह एक अलग संदर्भ में था और आगे बताया कि "2014 अधिनियम के अंतर्गत, संविधियों सहित सभी नियमों को तैयार कर लिया गया है। नियम 2019 के संशोधन अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए हैं लेकिन संविधि शासी परिषद द्वारा बनाए जाने हैं, जो कि एक स्वतंत्र निकाय है। हालांकि, हम उन पर अगस्त 2022 तक कार्य पूरा करने के लिए दबाव डाल रहे

हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग ने माननीय समिति से इसके समय में विस्तार देने का अनुरोध किया था।"

19 जब समिति ने आगे पूछा कि नए संस्थान नियमों और विनियमों के बिना कैसे काम कर रहे हैं, तो सचिव, डीपीआईआईटी ने निम्नवत बताया:

"वे वास्तव में वही कर रहे हैं जो अहमदाबाद में किया जा रहा है। मैंने कहा, अगर आपको कोई समस्या है तो देखें कि क्या बदलने की जरूरत है और एक प्रक्रिया के साथ आएं। मैंने हाल ही में सभी पांच एनआईडी के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की है, मैंने उन्हें यह कार्य दिया है। दरअसल, हमें उम्मीद है कि अगस्त तक वे अपना कार्य पूरा कर लेंगे। हम इसी पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं।"

20 हालांकि, मंत्रालय ने अपने दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 के का.ज्ञा. के माध्यम से 14.10.2022 से 13.01.2023 तक समय बढ़ाने की मांग की थी और दिनांक 8 फरवरी, 2023 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा 14.01.2023 से 13.04.2023 तक एक बार फिर से समय विस्तार मांगा और समिति को नवीनतम स्थिति से निम्नवत अवगत कराया:

"इस विभाग द्वारा चार नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) में से प्रत्येक के लिए दो नियम पहले ही तैयार और 30.12.2020 को अधिसूचित किए जा चुके हैं और संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जा चुके हैं। सभी चार नए एनआईडी की पहली संविधियों को तैयार करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

सभी चार नए एनआईडी की पहली संविधि बनाने का मुद्दा सक्रिय विचाराधीन है और इस विभाग के परामर्श से सभी चार नए एनआईडी द्वारा पहली प्रारूप संविधि तैयार कर ली गईं है, जिसे इन नए 4 एनआईडी की शासी परिषदों की संबंधित बैठक में अनुमोदित किया गया है। प्रारूप संविधि 31.08.2022 को पुनरीक्षण के लिए विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय को भेजी गई थी। हालाँकि, विधायी विभाग ने 21.11.2022 को प्रारूप संविधियों के प्रस्ताव को विभिन्न टिप्पणियों के साथ वापस कर दिया और प्रारूप में विभिन्न परिवर्तन/जोड़ने/हटाने का सुझाव दिया।

मामले के महत्व को ध्यान में रखते हुए, इस विभाग ने एनआईडी के निदेशकों के साथ गहन परामर्श किया और एनआईडीएस से विधायी विभाग की टिप्पणियों के मद्देनजर अपने विचारों को अंतिम रूप देने का अनुरोध किया गया। एनआईडी के समेकित विचार इस विभाग को 16.01.2023 को प्राप्त हुए थे। नए एनआईडी के प्राप्त इनपुट के आधार पर, इस विभाग ने अन्य आईएनआई की संविधियों पर विचार करते हुए विधायी विभाग की टिप्पणियों का विश्लेषण किया।"

21 इस संबंध में, यह उल्लेख किया जा सकता है कि मंत्रालय/विभाग को पहले ही 10 बार 3 महीने का समय विस्तार दिया जा चुका है, जिसमें से 14.07.2020 से 13.04.2022 तक 3-3 महीने का सात कार्योत्तर समय विस्तार दिया जा चुका है और एनआईडी (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत विचार किए गए सभी अधीनस्थ विधानों को तैयार करने / सभा पटल पर रखने और अधिसूचित करने संबंधी सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए समिति द्वारा 13.01.2023

तक तीन बार समय विस्तार दिया जा चुका है। हालाँकि, जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफ में कहा गया है, राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत स्थापित चार नए राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थानों में से प्रत्येक के लिए केवल दो संविधियां बनाई गई हैं, अधिसूचित की गईं हैं और दोनों सदनों के पटल पर रखी गई हैं और अधिनियम द्वारा यथा वांछित अधिदेशित अध्यादेश आज तक नहीं बनाए और अधिसूचित किए जा सके, और न ही संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जा सके।

टिप्पणियां/सिफारिशें

22 समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) अधिनियम, 2014 को 2019 में संशोधित किया गया था, जिसे 29.11.2019 को अधिनियमित और 03.12.2019 को अधिसूचित किया गया था। यह अधिनियम 13.01.2020 को प्रवृत हुआ। समिति ने यह भी पाती है कि अधिनियम की धारा 29 संस्थानों की शासी परिषद को धारा 28 में उल्लिखित विषयों पर संविधि बनाने की शक्तियां प्रदान करती है जबकि धारा 31 संस्थान की सीनेट को धारा 30 में उल्लिखित विषयों पर अध्यादेश बनाने की शक्तियां प्रदान करती है। आगे अधिनियम की धारा 40 में यह अधिदेशित है कि अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई प्रत्येक संविधि या अध्यादेश को राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखा जाएगा। आगे धारा 38 खंड (1) और खंड (2) (क), (ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्तियां प्रदान करते हैं और धारा 38 का खंड (3) केन्द्रीय सरकार के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए उन सभी नियमों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने का अधिदेश देता है।

23 समिति पाती है कि प्रत्येक चार नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) के लिए दो नियम बनाए गए थे और विभाग द्वारा 30.12.2020 को अधिसूचित किए गए थे और संसद की दोनों सभाओं अर्थात लोकसभा में 17.03.2021 को और राज्यसभा के पटल पर 19.03.2021 को रखे गए थे। प्रक्रिया के अनुसार, अधिनियम के लागू होने के 6 माह के भीतर अर्थात 14 जुलाई, 2020 तक नियम बनाने होंगे और यदि अपरिहार्य कारणों से 6 माह की निर्धारित समय-सीमा में विभाग के लिए नियम बनाना संभव न हो, उन्हें 6 महीने की समाप्ति पर समिति को विलंब के कारण बताने चाहिए और उनसे 14.07.2020 से एक बार में 3 महीने की अवधि के लिए समय बढ़ाने की मांग करनी चाहिए।

समिति यह नोट करके चिंतित है कि मंत्रालय/विभाग ने नियम बनाने में 5 महीने से अधिक की देरी की और 8 महीने की देरी के बाद, उन्हें संसद की दोनों सभाओं में रखा। इसके अलावा, मंत्रालय न तो छह महीने की निर्धारित अवधि के भीतर, नियमों/विनियमों को बनाने का कार्य पूरा कर सका और न ही उन्होंने समिति से नियम बनाने के लिए, समय बढ़ाने की मांग की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया। इसलिए, समिति का मानना है कि मंत्रालय/विभाग द्वारा अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने संबंधी मामले को बहुत ही लापरवाही से निपटाया गया है और शीघ्र नियम बनाने की दिशा में कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। इस प्रकार, समिति अपनी बार-बार दोहराई जाने वाली सिफारिश को दोहराना चाहती है कि मंत्रालय/विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिनियम के लागू होने के छह महीने की अवधि के भीतर नियम/विनियम आदि बनाए जाएं और यदि मंत्रालय/विभाग छह महीने की निर्धारित अवधि के भीतर नियमों को बनाने में विफल रहता है तो उसे अनिवार्य रूप से समिति से समय बढ़ाने की मांग करनी चाहिए।

24 समिति यह भी पाती है कि एनआईडी, अहमदाबाद के लिए संविधियां 2017 और 2020 में तैयार की गई थी। हालांकि, समिति यह नोट करके हैरान है कि चार नए

एनआईडी के लिए अपेक्षित संविधि/अध्यादेश संशोधन अधिनियम के प्रवृत्त होने से 2 साल 7 माह बाद भी तैयार किए जाने बाकी हैं। समिति नोट करती है कि अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत, संस्थान की शासी परिषद और सीनेट बनाई की जाती है, अधिनियम की धारा 17 शासी परिषद के चेयरपर्सन के कार्यों, शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है, अधिनियम की धारा 18 संस्थान के निदेशक की शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है और धारा 29 शासी परिषद को एनआईडी अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत प्रख्यापित विषयों यथा- शिक्षण विभाग का गठन, प्रभारित किए जाने वाला शुल्क, अध्येता संस्था, छात्रवृत्ति, मेडल और पुरस्कार, संस्थान के शिक्षकों की योग्यता, वर्गीकरण, नियुक्ति की पद्धति आदि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पदों का आरक्षण, शिक्षकों के लाभ के लिए पेंशन, बीमा और भविष्य निधि, हॉल और छात्रावास आदि की स्थापना और अनुरक्षण, शासी परिषद के सदस्यों के बीच रिक्तियों को भरने का तरीका, शासी परिषद के चेयरपर्सन और सदस्यों को दिए जाने वाले भत्ते, शासी परिषद, सीनेट या किसी समिति आदि की बैठक पर संविधियां और अध्यादेश बनाने की शक्तियां प्रदान करती है। इसी तरह, प्रत्येक संस्थान के अध्यादेश अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत वर्णित मामलों यथा संस्थान में छात्रों का प्रवेश, सभी डिग्री के लिए निर्धारित किए जाने वाले पाठ्यक्रम, अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति देने की शर्तें, प्रदर्शनियों, परीक्षाओं का संचालन, संस्थान के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना आदि के संबंध में नियम बना सकते हैं। आगे अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) के परंतुक में कहा गया है कि <u>प्रत्येक संस्थान</u> की पहली संविधि विजिटर की पूर्व स्वीकृति से शासी परिषद द्वारा तैयार की जाएगी और उसकी एक प्रति यथाशीघ्र संसद की प्रत्येक सभा के समक्ष रखी जाएगी। अधिनियम की धारा 40 की उप-धारा (1) के अनुसार, अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक संविधि और अध्यादेश को राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और संसद की दोनों सभाओं के सभा पटल पर रखा जाएगा। इस प्रकार, एनआईडी (संशोधन) अधिनियम, 2019 के उपबंधों से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक संस्थान को संविधि और अध्यादेश बनाने होंगे और उन्हें राजपत्र में प्रकाशित करना होगा और संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखना होगा। संविधियों/अध्यादेशों के अभाव में, समिति इस बात से विस्मित है कि इन प्रमुख संस्थानों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए अति महत्वपूर्ण शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण कैसे किया गया है। समिति का पुरजोर मत है कि संविधियों और अध्यादेशों के बिना, एनआईडी की शासी परिषद और सीनेट एक समानांतर निकाय बन सकती है जो संस्थान को तदर्थ तरीके से चला रही है।

25 समिति के समक्ष विभाग का यह अनुरोध पूरी तरह से गलत है कि "संविधि और अध्यादेश दोनों संस्थान के संबंधित निकायों अर्थात शासी परिषद और सीनेट द्वारा तैयार किए जाने हैं, इसलिए, इन्हें अधीनस्थ विधान के दायरे में नहीं माना जा सकता क्योंकि ये ऐसी आवश्यकताएं और विनिर्देश है जो एक स्वायत्त संस्थान को अपने नियमित कामकाज के लिए तैयार करने पड़ते हैं।" इस प्रकार समिति, मंत्रालय की ऐसी लापरवाहीपूर्ण धारणा पर अपना रोष व्यक्त करती है, विशेष रूप से तब जबकि मूल अधिनियम अर्थात एनआईडी अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित एनआईडी अहमदाबाद के मामले में सभी आवश्यक

अधीनस्थ विधान अर्थात नियम, संविधि, अध्यादेश आदि बनाने की कवायद मंत्रालय द्वारा पहले ही लागू की जा चुकी है। इसलिए, समिति मंत्रालय/विभाग द्वारा इस संबंध में दिए गए तर्क को स्वीकार नहीं करती है। एनआईडी/सीनेट/शासी परिषद को अपनी शक्तियां अधिनियम के उपबंधों से प्राप्त करती है और मूल अधिनियम में विहित प्रत्यायोजित विधान की शक्ति का प्रयोग करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती हैं। इस प्रकार, समिति अत्यंत गंभीरता के साथ यह नोट करती है कि संविधियों/अध्यादेशों को तैयार करने, अधिसूचित करने और उन्हें संसद के पटल पर रखने में देरी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपी आईआईटी) के स्तर पर एनआईडी (संशोधन) अधिनियम, 2019 के सभी उपबंधों को पूरी तरह से लागू करने में गंभीर और ठोस प्रयासों की कमी को दर्शाती है।

26 समिति आगे यह निष्कर्ष निकालने के लिए विवश है कि या तो मंत्रालय/विभाग संसदीय प्रक्रिया नियमावली के पैरा 11.3.2 में विहित प्रक्रिया से अवगत नहीं है, जिसका पालन अधीनस्थ विधान बनाने हेतु भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाता है क्योंकि मंत्रालय ने 6 महीने की निर्धारित समय सीमा के भीतर न तो नियम, संविधि और अध्यादेश बनाए और न ही 6 महीने की समाप्ति के बाद समिति से समय बढ़ाने की मांग की। समिति से समय विस्तार की मांग के लिए पहला पत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 को एक वर्ष और 3 महीने से अधिक की देरी के बाद प्राप्त हुआ था। समिति ने सुविचारित दृष्टिकोण अपनाते हुए इस पर विचार किया और 14.07.2020 से तीन-तीन महीने के सात कार्योत्तर विस्तार को अनुमोदित किया और एनआईडी (संशोधन) अधिनियम के अंतर्गत जिन सभी अधीनस्थ विधानों अर्थात संविधियों/अध्यादेशों को तैयार करने, अधिसूचित करने और सभा पटल पर रखने के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के क्रम में मंत्रालय/विभाग को 13.01.2023 तक तीन बार तीन महीने का समय विस्तार दिया गया।

27 समिति हालांकि यह नोट करके क्षुब्ध है कि 10 बार समय विस्तार मांगने और 03 जून, 2022 को आयोजित ब्रीफिंग मीटिंग के जहां उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव ने समिति को आश्वासन दिया था कि अगस्त, 2022 तक संविधि और अध्यादेश लागू हो जाएंगे, के लगभग 9 महीने के बाद भी मंत्रालय ने दिनांक 08 फरवरी, 2023 के अपने नवीनतम पत्र के माध्यम से 13.04.2023 तक पुन: इस आधार पर समय विस्तार मांगा है कि नए एनआईडी की पहली संविधि की पुनरीक्षा के लिए प्रस्ताव 19.01.2023 को एक बार फिर से विधायी विभाग को भेजा गया है। है। समिति यह नोट करके चिंतित है कि मंत्रालय ने दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा समिति को बताया था कि संबंधित संस्थानों के अध्यादेश उनकी पहली संविधियों की अधिसूचना के बाद बनाए जाएंगे।

28 समिति का मत है कि नियम/विनियम/संविधि/अध्यादेश बनाने की धीमी गति संसद द्वारा पारित विधान के महत्वपूर्ण उपबंधों के मूल उद्देश्य को नकारती है। समिति यह भी बताना चाहती है चूंकि संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय महत्व के चार नए संस्थानों से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, इसलिए इस संबंध में, नियमों/कानूनों/अध्यादेशों को बनाने का काम प्रस्तावित संशोधन अधिनियम के प्रारूपण के साथ-साथ शुरू किया जा सकता

था क्योंकि एनआईडी अहमदाबाद के संबंध में, संविधि और अध्यादेश पहले से ही विद्यमान थे और प्रभावी ढंग से लागू किए जा रहे हैं। इस प्रकार चार नए एनआईडी के लिए पहले से ही विद्यमान एनआईडी, अहमदाबाद संविधियों/अध्यादेशों की तर्ज पर संविधियों और अध्यादेशों को संसद द्वारा संशोधन अधिनियम पारित किए जाने तक तैयार किया जा सकता था। इसलिए, समिति वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय/डीपीआईआईटी को बिना किसी और देरी के तत्काल कदम उठाने और संविधियों/अध्यादेशों को अंतिम रूप देने और सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के 6 महीने के भीतर उसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखने की पुरजोर सिफारिश करती है। समिति चाहती है की उसे इस संबंध में की गई निर्णायक कार्रवाई से भी अवगत कराया जाए।

नई दिल्ली ;
23 मार्च,2023
02 चैत्र,1945 (शक)

बालाशौरी वल्लभनेनी
सभापति
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

परिशिष्ट-एक

(कृपया प्रतिवेदन के प्राक्कथन का पैरा 4 देखिए)

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन में की गईं सिफारिशों का सार

(सत्रहवीं लोक सभा)

क्र.सं.	प्रतिवेदन में पैरा सं. का संदर्भ	सिफारिशों का सार
1	22	समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) अधिनियम, 2014 को 2019 में संशोधित किया गया था, जिसे 29.11.2019 को अधिनियमित और 03.12.2019 को अधिसूचित किया गया था। यह अधिनियम 13.01.2020 को प्रवृत हुआ। समिति ने यह भी पाती है कि अधिनियम की धारा 29 संस्थानों की शासी परिषद को धारा 28 में उल्लिखित विषयों पर संविधि बनाने की शक्तियां प्रदान करती है जबकि धारा 31 संस्थान की सीनेट को धारा 30 में उल्लिखित विषयों पर अध्यादेश बनाने की शक्तियां प्रदान करती है। आगे अधिनियम की धारा 40 में यह अधिदेशित है कि अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई प्रत्येक संविधि या अध्यादेश को राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखा जाएगा। आगे धारा 38 खंड (1) और खंड (2) (क), (ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्तियां प्रदान करते हैं और धारा 38 का खंड (3) केन्द्रीय सरकार के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए उन सभी नियमों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने का अधिदेश देता है।
2.	23	समिति पाती है कि प्रत्येक चार नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) के लिए दो नियम बनाए गए थे और विभाग द्वारा 30.12.2020 को अधिसूचित किए गए थे और संसद की दोनों सभाओं अर्थात लोकसभा में 17.03.2021 को और राज्यसभा के पटल पर 19.03.2021 को रखे गए थे। प्रक्रिया के अनुसार, अधिनियम के लागू होने के 6 माह के भीतर अर्थात 14 जुलाई, 2020 तक नियम बनाने होंगे और यदि अपरिहार्य कारणों से 6 माह की निर्धारित समय-सीमा में विभाग के लिए नियम बनाना संभव न हो, उन्हें 6 महीने की समाप्ति पर समिति को विलंब के कारण बताने चाहिए और उनसे 14.07.2020 से एक बार में 3 महीने की अवधि के लिए समय बढ़ाने की मांग करनी चाहिए। समिति यह नोट करके चिंतित है कि मंत्रालय/विभाग ने नियम बनाने में 5 महीने से अधिक की देरी की और 8 महीने की देरी के बाद, उन्हें संसद की दोनों सभाओं में रखा। इसके अलावा, मंत्रालय न तो छह महीने की निर्धारित अवधि के भीतर, नियमों/विनियमों को बनाने का कार्य पूरा कर सका और न ही उन्होंने समिति से नियम बनाने के लिए, समय बढ़ाने की मांग की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया। इसलिए, समिति का मानना है कि मंत्रालय/विभाग द्वारा अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने संबंधी मामले को बहुत ही लापरवाही से निपटाया गया है और शीघ्र नियम बनाने की दिशा में कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। इस प्रकार, समिति अपनी बार-बार दोहराई जाने वाली सिफारिश को दोहराना चाहती है कि मंत्रालय/विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिनियम के लागू होने के छह महीने की अवधि के भीतर नियम/विनियम आदि बनाए जाएं

		और यदि मंत्रालय/विभाग छह महीने की निर्धारित अवधि के भीतर नियमों को बनाने में विफल रहता है तो उसे अनिवार्य रूप से समिति से समय बढ़ाने की मांग करनी चाहिए।
3.	**24**	**समिति यह भी पाती है कि एनआईडी, अहमदाबाद के लिए संविधियां 2017 और 2020 में तैयार की गई थी। हालांकि, समिति यह नोट करके हैरान है कि चार नए एनआईडी के लिए अपेक्षित संविधि/अध्यादेश संशोधन अधिनियम के प्रवृत्त होने से 2 साल 7 माह बाद भी तैयार किए जाने बाकी हैं। समिति नोट करती है कि अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत, संस्थान की शासी परिषद और सीनेट बनाई की जाती है, अधिनियम की धारा 17 शासी परिषद के चेयरपर्सन के कार्यों, शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है, अधिनियम की धारा 18 संस्थान के निदेशक की शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है और धारा 29 शासी परिषद को एनआईडी अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत प्रख्यापित विषयों यथा- शिक्षण विभाग का गठन, प्रभारित किए जाने वाला शुल्क, अध्येता संस्था, छात्रवृत्ति, मेडल और पुरस्कार, संस्थान के शिक्षकों की योग्यता, वर्गीकरण, नियुक्ति की पद्धति आदि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पदों का आरक्षण, शिक्षकों के लाभ के लिए पेंशन, बीमा और भविष्य निधि, हॉल और छात्रावास आदि की स्थापना और अनुरक्षण, शासी परिषद के सदस्यों के बीच रिक्तियों को भरने का तरीका, शासी परिषद के चेयरपर्सन और सदस्यों को दिए जाने वाले भत्ते, शासी परिषद, सीनेट या किसी समिति आदि की बैठक पर संविधियां और अध्यादेश बनाने की शक्तियां प्रदान करती है। इसी तरह, प्रत्येक संस्थान के अध्यादेश अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत वर्णित मामलों यथा संस्थान में छात्रों का प्रवेश, सभी डिग्री के लिए निर्धारित किए जाने वाले पाठ्यक्रम, अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति देने की शर्तें, प्रदर्शनियों, परीक्षाओं का संचालन, संस्थान के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना आदि के संबंध में नियम बना सकते हैं। आगे अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) के परंतुक में कहा गया है कि <u>प्रत्येक संस्थान</u> की पहली संविधि विजिटर की पूर्व स्वीकृति से शासी परिषद द्वारा तैयार की जाएगी और उसकी एक प्रति यथाशीघ्र संसद की प्रत्येक सभा के समक्ष रखी जाएगी। अधिनियम की धारा 40 की उप-धारा (1) के अनुसार, अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक संविधि और अध्यादेश को राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और संसद की दोनों सभाओं के सभा पटल पर रखा जाएगा। इस प्रकार, एनआईडी (संशोधन) अधिनियम, 2019 के उपबंधों से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक संस्थान को संविधि और अध्यादेश बनाने होंगे और उन्हें राजपत्र में प्रकाशित करना होगा और संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखना होगा। संविधियों/अध्यादेशों के अभाव में, समिति इस बात से विस्मित है कि इन प्रमुख संस्थानों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए अति महत्वपूर्ण शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण कैसे किया गया है। समिति का पुरजोर मत है कि संविधियों और अध्यादेशों के बिना, एनआईडी की शासी परिषद और सीनेट एक समानांतर निकाय बन सकती है जो संस्थान को तदर्थ तरीके से चला रही है।**
4.	**25**	**समिति के समक्ष विभाग का यह अनुरोध पूरी तरह से गलत है कि "संविधि और अध्यादेश दोनों संस्थान के संबंधित निकायों अर्थात शासी परिषद और सीनेट द्वारा तैयार किए जाने हैं, इसलिए, इन्हें अधीनस्थ विधान के दायरे में**

		नहीं माना जा सकता क्योंकि ये ऐसी आवश्यकताएं और विनिर्देश है जो एक स्वायत्त संस्थान को अपने नियमित कामकाज के लिए तैयार करने पड़ते हैं।" इस प्रकार समिति, मंत्रालय की ऐसी लापरवाहीपूर्ण धारणा पर अपना रोष व्यक्त करती है, विशेष रूप से तब जबकि मूल अधिनियम अर्थात एनआईडी अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित एनआईडी अहमदाबाद के मामले में सभी आवश्यक अधीनस्थ विधान अर्थात नियम, संविधि, अध्यादेश आदि बनाने की कवायद मंत्रालय द्वारा पहले ही लागू की जा चुकी है। इसलिए, समिति मंत्रालय/विभाग द्वारा इस संबंध में दिए गए तर्क को स्वीकार नहीं करती है। एनआईडी/सीनेट/शासी परिषद को अपनी शक्तियां अधिनियम के उपबंधों से प्राप्त करती है और मूल अधिनियम में विहित प्रत्यायोजित विधान की शक्ति का प्रयोग करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती हैं। इस प्रकार, समिति अत्यंत गंभीरता के साथ यह नोट करती है कि संविधियों/अध्यादेशों को तैयार करने, अधिसूचित करने और उन्हें संसद के पटल पर रखने में देरी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपी आईआईटी) के स्तर पर एनआईडी (संशोधन) अधिनियम, 2019 के सभी उपबंधों को पूरी तरह से लागू करने में गंभीर और ठोस प्रयासों की कमी को दर्शाती है।
5.	**26**	**समिति आगे यह निष्कर्ष निकालने के लिए विवश है कि या तो मंत्रालय/विभाग संसदीय प्रक्रिया नियमावली के पैरा 11.3.2 में विहित प्रक्रिया से अवगत नहीं है, जिसका पालन अधीनस्थ विधान बनाने हेतु भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाता है क्योंकि मंत्रालय ने 6 महीने की निर्धारित समय सीमा के भीतर न तो नियम, संविधि और अध्यादेश बनाए और न ही 6 महीने की समाप्ति के बाद समिति से समय बढ़ाने की मांग की। समिति से समय विस्तार की मांग के लिए पहला पत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 को एक वर्ष और 3 महीने से अधिक की देरी के बाद प्राप्त हुआ था। समिति ने सुविचारित दृष्टिकोण अपनाते हुए इस पर विचार किया और 14.07.2020 से तीन-तीन महीने के सात कार्योत्तर विस्तार को अनुमोदित किया और एनआईडी (संशोधन) अधिनियम के अंतर्गत जिन सभी अधीनस्थ विधानों अर्थात संविधियों/अध्यादेशों को तैयार करने, अधिसूचित करने और सभा पटल पर रखने के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के क्रम में मंत्रालय/विभाग को 13.01.2023 तक तीन बार तीन महीने का समय विस्तार दिया गया।**
6.	**27**	**समिति हालांकि यह नोट करके क्षुब्ध है कि 10 बार समय विस्तार मांगने और 03 जून, 2022 को आयोजित ब्रीफिंग मीटिंग के जहां उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव ने समिति को आश्वासन दिया था कि अगस्त, 2022 तक संविधि और अध्यादेश लागू हो जाएंगे, के लगभग 9 महीने के बाद भी मंत्रालय ने दिनांक 08 फरवरी, 2023 के अपने नवीनतम पत्र के माध्यम से 13.04.2023 तक पुन: इस आधार पर समय विस्तार मांगा है कि नए एनआईडी की पहली संविधि की पुनरीक्षा के लिए प्रस्ताव 19.01.2023 को एक बार फिर से विधायी विभाग को भेजा गया है। है। समिति यह नोट करके चिंतित है कि मंत्रालय ने दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा समिति को बताया था कि संबंधित संस्थानों के अध्यादेश उनकी पहली संविधियों की अधिसूचना के बाद बनाए जाएंगे।**
7.	**28**	**समिति का मत है कि नियम/विनियम/संविधि/अध्यादेश बनाने की धीमी**

		गति संसद द्वारा पारित विधान के महत्वपूर्ण उपबंधों के मूल उद्देश्य को नकारती है। समिति यह भी बताना चाहती है चूंकि संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय महत्व के चार नए संस्थानों से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, इसलिए इस संबंध में, नियमों/कानूनों/अध्यादेशों को बनाने का काम प्रस्तावित संशोधन अधिनियम के प्रारूपण के साथ-साथ शुरू किया जा सकता था क्योंकि एनआईडी अहमदाबाद के संबंध में, संविधि और अध्यादेश पहले से ही विद्यमान थे और प्रभावी ढंग से लागू किए जा रहे हैं। इस प्रकार चार नए एनआईडी के लिए पहले से ही विद्यमान एनआईडी, अहमदाबाद संविधियों/अध्यादेशों की तर्ज पर संविधियों और अध्यादेशों को संसद द्वारा संशोधन अधिनियम पारित किए जाने तक तैयार किया जा सकता था। इसलिए, समिति वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय/डीपीआईआईटी को बिना किसी और देरी के तत्काल कदम उठाने और संविधियों/अध्यादेशों को अंतिम रूप देने और सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के 6 महीने के भीतर उसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखने की पुरजोर सिफारिश करती है। समिति चाहती है की उसे इस संबंध में की गई निर्णायक कार्रवाई से भी अवगत कराया जाए।

परिशिष्ट- दो

(कृपया प्रतिवेदन के प्राक्कथन का पैरा 5 देखिए)

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (2021-2022) की पच्चीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति (2021-2022) की पच्चीसवीं बैठक दिनांक 03 जून, 2022 को 1430 बजे से 1707 बजे तक समिति कक्ष "सी", संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

1. श्री बालाशोरी वल्लभनेनी — सभापति

सदस्य

2. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
3. श्री सुरेश पुजारी
4. श्री नामा नागेश्वर राव
5. श्री सु. थिरुनवुक्करासर
6. श्री बी. मणिक्कम टैगोर
7. डॉ अमर सिंह

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री मुरलीधरन पी. - निदेशक
3. श्रीमती जागृति तेवतिया - अपर निदेशक

साक्षियों की सूची

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

1. श्री अनुराग जैन - सचिव
2. श्री रूप दत्त - वैयक्तिक परामर्शदाता
3. श्री आर.एस. ठाकुर - अपर सचिव
4. श्री राजेंद्र रत्नू - संयुक्त सचिव
5. श्री आर. के. सिंह - संयुक्त सचिव
6. श्री टी.एस.जी. नारायन्नन - तकनीकी परामर्शदाता
7. श्री एस.एस. दास - वित्तीय परामर्शदाता
8. सुश्री करमजीत कौर - संयुक्त निदेशक
9. श्री सुशील के. सतपुते - निदेशक
10. श्री बी. रामांजनेयुलु - निदेशक
11. सुश्री सुप्रिया एस. देवस्थली - निदेशक

12· सुश्री आरती महावर - सहायक निदेशक

13· श्री सचिन धानिया - उप सचिव

2· सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात, संयुक्त सचिव, लोक सभा सचिवालय ने दिन की बैठक के लिए सूचीबद्ध कार्यसूची की मद यथा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विभाग तथा अन्य संबद्ध कार्यालयों/अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों द्वारा प्रशासित किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों (समय-समय पर यथासंशोधित) के अंतर्गत नियम/विनियम आदि बनाने की स्थिति पर एक संक्षिप्त पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया।

3· तत्पश्चात्, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) के प्रतिनिधियों को मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विभाग तथा अन्य संबद्ध कार्यालयों/अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों द्वारा प्रशासित किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों (समय-समय पर यथासंशोधित) के अंतर्गत नियम/विनियम आदि बनाने की स्थिति के बारे में समिति को संक्षिप्त जानकारी देने के लिए बुलाया गया। समिति की बैठक में मंत्रालय के प्रतिनिधियों का स्वागत करने के पश्चात् सभापति ने कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 55(1) की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया।

4· प्रथागत परिचय के पश्चात्, उक्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की भूमिका और कार्यकरणों की सामग्र रूपरेखा देते हुए विभाग द्वारा की गई प्रमुख पहलों विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियमों, इन अधिनियमों के अंतर्गत नियम/विनियम/संविधि बनाने की स्थिति का ब्योरा और इस विषय पर राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान विधेयक 2014 यथा संशोधित के अंतर्गत संविधि और अध्यादेश बनाने के लिए समय बढ़ाने संबंधी माँग के बारे में पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया। प्रतिनिधि ने समिति को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा कार्यान्वितकी जा रही मेक इन इंडिया उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम, एफडीआई-सुधार इज ऑफ डूइंग बिजनेस बौद्धिक संपदा अधिकार उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास योजना आदि के अंतर्गत उद्योगों के पाँच प्रमुख पहलूओं पर केंद्रित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

5· तत्पश्चात, समिति ने, औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में ली गई विभिन्न परियोजनाओं कॉरिडोर की पहचान करने में लगे समय और उन मानदंडों जिनपर विचार किया गया है कुल एफडीआई के लिए राज्य-वार ब्योरा इज ऑफ डूइंग बिजनेस के वैधीकरण के अंतर्गत दंड दिए जाने के लिए कानूनों और इस संबंध में रिपोर्ट इज ऑफ डूइंग बिजनेस असफल एवं रुग्ण उद्योगों की वैश्विक सूची में देश की स्थिति में और सुधार करने के लिए किए गए प्रयास स्टार्ट-अप तथा बेहतर निष्पादन नहीं करने वाले स्टार्ट-अप को पुनर्जीवित करने के लिए एनआईडी अधिनियम 2014 के अंतर्गत चार नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों द्वारा संविधियों और अध्यादेशों को बनाने में विलंब के कारणों और इनके अभाव की स्थिति में इन एनआईडी के कार्यकरण उन मानकों अथवा मापदंडों जिनके द्वारा

उद्यमियों या निवेशकों आदि को उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं, आदि के बारे में स्पष्टीकरण माँगा।

6. मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए। जिन प्रश्नों के उत्तर मंत्रालय के प्रतिनिधियों के पास तत्काल उपलब्ध नहीं थे, सभापति ने, उनके उत्तर 15 दिनों के भीतर लोक सभा सचिवालय को लिखित रूप में देने के लिए निदेश दिया।

7. सभापति ने समिति को उक्त विषय पर बहुमूल्य जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया।

8. तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य दे कर चले गए।

9. बैठक की कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड अलग से रखा गया है।
तत्पश्चात् समिति की कार्यवाही स्थगित हुई।

परिशिष्ट- दो

(कृपया प्रतिवेदन के प्राक्कथन का पैरा 5 देखिए)

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (2022-2023) की बारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति (2022-23) की बारहवीं बैठक गुरुवार,मार्च 23 , 2023 को 1500 बजे से 1530 बजे तक सभापति कमरा संख्या209 , संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

1. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी — सभापति

सदस्य

2. श्री चन्देश्वर प्रसाद
3. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
4. श्री सुरेशपुजारी
5. डॉअमर सिंह .
6. श्री बृजेन्द्र सिंह
7. श्री सुथिरूनवुक्करासर .
8. श्री राम कृपाल यादव
9. श्री अरविंद सावंत

सचिवालय

1.	श्री वी मोहन .के .	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री मुरलीधरन पी	-	निदेशक
3.	श्रीमती जागृति तेवतिया	-	अपर निदेशक

2. सर्वप्रथम**,** सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात समिति ने निम्नवत प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया:-

(i) 2019 में यथा संशोधित, राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अधिनियम, 2014 के अंतर्गत नियमों/विनियमों/संविधियों/अध्यादेशों को तैयार करने की स्थिति के संबंध में छब्बीसवां प्रतिवेदन।

(ii)	XX	XX	XX
(iii)	XX	XX	XX
(iv)	XX	XX	XX

3. कुछ चर्चा के पश्चात् समिति ने उपर्युक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को बिना कोई परिवर्तन किए स्वीकार किया। समिति ने सभापति को सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत भी किया।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

XX कार्यवाही सारांश का लोप किया गया भाग इस प्रतिवेदन के लिए प्रासंगिक नहीं है।